

सरकार के प्रधान सचिव-सह-सदस्य सचिव, उच्च स्तरीय समिति,
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-उ0स्त0स0/2015-


सा0प्र0-002, दिनांक-19.05.15 द्वारा नियोजित

कर्मियों के नियमितिकरण हेतु माँगी गयी सूचना निम्न प्रकार है :-

नियोजित कर्मी का नाम - शमशाद हुसैन,

पदनाम - डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (कम्प्यूटर ऑपरेटर)

कार्यालय का नाम - कार्यपालक अभियंता दुर्गावती बाँध प्रमंडल संख्या-1, भीतरीबाँध।


12/10/2015

क्र0	नियोजित कर्मियों के सम्बन्ध में मांग की गई सूचना	कार्यरत ऑपरेटरों से सम्बन्धित सूचना	अभ्युक्ति
01	02	03	04
1	प्रत्येक पद जिसपर नियोजन किया गया है, का पदनाम	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (कम्प्यूटर ऑपरेटर)	
2	पदवार कुल नियोजित कर्मियों एवं कुल कार्यरत कर्मियों की संख्या	(01) एक	
3	किस योजना/परियोजना इत्यादि के लिए यह नियोजन किया गया था तथा क्या यह योजना केन्द्रीय या राज्य की योजना थी	डाटा सग्रहण आपूर्ति / राज्य सरकार	
4	नियोजन का पद किस श्रेणी का है। (समूह-ग या घ) ?	यह समूह "ग" का है।	
5	क्या यह पद स्वीकृत था अगर है तो, स्वीकृत्यादेश/पद सृजन आदेश ?	पत्रांक 518 दिनांक 30.06.2010	
6	क्या प्रत्येकवार का नियोजन रिक्ति के विरुद्ध हुआ था अथवा नहीं ?	हाँ	
7	नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन/ नोटिस इत्यादि की छाया प्रति (प्रत्येक पद के लिए जितने बार नियोजन किया गया है, उन सब की छाया प्रति उपलब्ध करायी जाय)	नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशित हुई थी।	
8	नियोजन हेतु चयन की प्रक्रिया।	साक्षात्कार	

8.10.15
12/10
श्री सुन्दर
14.10.15

S10-899
14/10/15

9	पदवार निर्धारित न्यूनतम अहर्ता।	स्नातक	
10	क्या नियोजित कर्मी वांछित पदीय अहर्ता रखते थे अथवा नहीं।	हाँ, यह वांछित योग्यता रखते थे।	
11	नियोजन के समय आरक्षण अधिनियम का पालन हुआ है अथवा नहीं।	-	
12	नियोजन हेतु नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी।	सरकार के संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) जल संसाधन विभाग, पटना का पत्रांक 518 दिनांक-30.06.2010.	
13	उपर्युक्त नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी को नियोजन की शक्ति प्रदत्त थी अथवा नहीं।	हाँ	
14	नियोजन पत्र/अनुबंध पत्र का नमूना (प्रत्येक पद पर प्रत्येक बार की नियोजन प्रक्रिया के लिए)	विभागीय आदेश के आलोक में इस प्रमंडलीय कार्यालय के पत्रांक 3297 दिनांक- 30.08.2010 द्वारा निर्गत नियोजन पत्र की छायाप्रति संलग्न।	
15	प्रथम नियोजन के समय निर्धारित नियोजन अवधि।	तीन वर्षों के लिए।	
16	प्रत्येक सेवावधि विस्तार हेतु निर्धारित मानक।	संतोजनक सेवा	
17	प्रत्येक सेवावधि विस्तार आदेश का नमूना।	तीन वर्ष पूरा होने पर सेवावधि बढ़ा दी जायगी।	
18	प्रत्येक पदवार मानदेय/ पारिश्रमिक /वेतन/ Consulted Pay इत्यादि की भुगतये राशि।	नियमित पारिश्रमिक 4700.00	
19	जिस शीर्ष/मद से भुगतान हो रहा है, उसकी विवरणी।	शीर्ष/मद "2801" व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ	
20	जिस नियमावली/संकल्प/परिपत्र के अंतर्गत इन पदों पर नियोजन की प्रक्रिया हुई है, उनकी छाया प्रति (मूल एवं सभी संशोधनों के साथ)	बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक 518 दिनांक - 30.06.2010 की छायाप्रति संलग्न।	

विश्वासभाजन

**ज्ञापन/प्रतिवेदन के साथ प्राप्त सभी अनुलग्नक कार्यालय में Hard Copy में संधारित है।